



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 20 सितम्बर, 1986

भाद्रपद 29, 1908 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1658/सत्रह-वि-1-1-(क)-9-1986

लखनऊ, 20 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 19 सितम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) अधिनियम, 1986

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1986]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1974 को निरसित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सैतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 5 सन्
1975 का
निरसन.

2--उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1974 एतद्द्वारा निरसित
किया जाता है।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1658 (2)/XVII-V-1-1- (KA) 9-1986

Dated Lucknow, September 20, 1986

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Anudan Ayog (Nirsan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 19, 1986.

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION GRANTS
COMMISSION (REPEAL) ACT, 1986

[U.P. ACT NO 20 OF 1986]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to repeal the Uttar Pradesh Higher Education Grants Commission Act, 1974.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Grants Commission (Repeal) Act, 1986.

Repeal of U. P.
Act no. 5 of
1975

2. The Uttar Pradesh Higher Education Grants Commission Act, 1974 is hereby repealed.

By order,
S.N. SAHAY,
Sachiv.